ए.

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण

बनाम

केरल मरादु नगरपालिका और ओ. आर. एस. का राज्य। (2019 की सिविल अपील संख्या 4784-4785)

बी.

08 मई, 2019

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

पर्यावरण कानूनःसी. आर. जेड.-III के रूप में अधिसूचित तटीय क्षेत्र-अधिसूचित सी. आर. जेड. से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए सशक्त अपीलार्थी प्राधिकरण-आरोप है कि पंचायतों द्वारा भवन परमिट जारी करने में उल्लंघन हुआ था-विवाद यह था कि प्रत्यर्थी बिल्डर केरल राज्य के एर्नाकुलम में अप्रवाही जल के तटों पर निर्माण गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे जो बड़ी जैविक विविधता का समर्थन करता है और भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में से एक है-जिस क्षेत्र में उत्तरदाताओं ने निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया है वह एक ज्वारीय रूप से प्रभावित जल निकाय का हिस्सा है और उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है-सरकार ने संबंधित निकायों को आर. आर. के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी त्रुटिपूर्ण भवन परमिट को रद्द करने का निर्देश दिया।16 और केरल नगर पालिका भवन नियम, 1999 का 23-बिल्डरों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि उन्हें जारी किए गए भवन परमिट को क्यों रद्द नहीं किया गया-नोटिस के खिलाफ रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि परमिट धारकों को वैधानिक प्रावधानों और अधिसूचनाओं का पालन करने में स्थानीय अधिकारियों की विफलता के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती थी-अपीलार्थी प्राधिकरण ने तत्काल अपील दायर की-इस न्यायालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसने निष्कर्ष दिया कि विवादग्रस्त क्षेत्र तटीय क्षेत्र विनियमों के सीआरजेड-III में आता है-आयोजित किया गयाःसी. आर. जेड.-III के संबंध में, दिनांक 19.2.1991 की प्रासंगिक अधिसूचना ने संकेत दिया कि हाई टाइड लाइन से 200 मीटर का क्षेत्र कोई विकास क्षेत्र नहीं है और इस क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है, सिवाय मौजूदा एफ. एस. आई. से अधिक अधिकृत संरचनाओं की मरम्मत के-स्थानीय प्राधिकरण के लिए अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है, जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया जाता है-इस

प्रकार, 1991 की अधिसूचना को देखते हुए, स्थानीय प्राधिकरण, यानी पंचायत के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति देने के लिए खुला नहीं था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

625 ए.

626 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 8 एस. सी. आर.

अपीलार्थी प्राधिकरण-बेशक, पंचायत ने भवन निर्माण की अनुमति के लिए ऐसे किसी भी आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया-इस प्रकार, एक बार समिति द्वारा उचित जांच किए जाने के बाद, इस निष्कर्ष से कोई बचा नहीं था कि यह क्षेत्र सी. आर. जेड.-III के अंतर्गत आता है और यह पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र के भीतर अस्वीकार्य और अनधिकृत निर्माण था-केरल नगर पालिका भवन नियम, 1999-आर.16 और 23-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।

बी.

न्यायिक सूचनाःकेरल में हाल ही में हुई तबाही का न्यायिक नोटिस लिया गया, जो इस तरह की बेलगाम निर्माण गतिविधियों के कारण भारी बारिश के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह की अनधिकृत गतिविधि के कारण मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था-तत्काल मामले में, पंचायत द्वारा दी गई अनुमति अवैध और शून्य थी-निषिद्ध क्षेत्र में ऐसी कोई विकास गतिविधि नहीं हो सकती थी-जांच समिति के निष्कर्षों को देखते हुए, एक महीने की अवधि के भीतर सभी संरचनाओं को हटाने के निर्देश पारित किए गए-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-केरल नगर पालिका भवन नियम, 1999-rr।16 और 23.

सी.

डी.

पाइडेड फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य (2004) 3

एससीसी 445:[2004] 2 एस. सी. आर. 1135; वामिका द्वीप (हरा)

लैगून रिज़ॉर्ट) बनाम भारत संघ और अन्य। (2013) 8 एस. सी. सी.

760 – पर भरोसा किया।

ई.

रतीश बनाम केरल राज्य 2013 (3) के. एल. टी. 840-अनुमोदित।

इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ

(1996) 5 एससीसी **281:[1996] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 507-**संदर्भित।

एफ.

संदर्भित निर्णय

[1996] 1 पूरक।पैरा **3 [2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1135** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 507** पर भरोसा किया गया

पैरा **4**

(2013) 8 एस**.** सी**.** सी**. 760**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **14**

जी.

2013 (3) के**.** एल**.** टी **840**

मंजूरी मिल गई।

पैरा **16** ए

एच.

627

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण. v.केरल राज्य मरादु नगरपालिका सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 4784-4785।

2013 की डब्ल्यू. ए. संख्या 132 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश और 2015 की समीक्षा याचिका संख्या 787 में दिनांकित <आई. डी. 2 के आदेश से।

के साथ

बी.

2019 की सिविल अपील संख्या 4790-4793,4786-4789।

रोमी चाको, जे. सप्ती चंद, विशांत सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

वी. गिरि, जयंत मुथराज, वरिष्ठ अधिवक्तागण , रंजन कुमार, मोहम्मद सादिक टी. आर., अनु के. जॉय, अमित कृष्णन, आलिम अनवर, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, एम. टी. जॉर्ज, अविष्कार सिंघवी, निपुण कत्याल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

ओ आर डी ई आर

डी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों की अनुमति है।

3. 2013 की रिट अपील No.132 और अन्य संबंधित अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11.11.2016 के फैसले और आदेश से व्यथित केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अपील दायर की गई हैं।

ई.

4. अपीलार्थी प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में किया गया है।

पर्यावरण-कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ (1996) 5 एस. सी. सी.

281] साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।अपीलार्थी प्राधिकरण को अधिसूचित तटीय विनियम क्षेत्रों (संक्षेप में, 'सी. आर. जेड.') से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने का अधिकार है।अधिसूचित सी. आर. जेड. क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति केवल अपीलार्थी प्राधिकरण के परामर्श और पूर्व सहमति से ही दी जा सकती है।यह स्थानीय स्वशासन, सक्षम प्राधिकारी का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह भवन निर्माण की अनुमति जारी करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड के साथ अपीलार्थी प्राधिकरण को भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन भेजे।अपीलार्थी प्राधिकरण ने सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पालन करें और अधिसूचनाओं में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करें।

एफ.

जी.

एच.

ए.

5. पीडाडे फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य [(2004) 3 एस. सी. सी. 445] मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है जो तटीय क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के हित में सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं के महत्व को बताता है और नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।प्रत्यर्थी बिल्डरों की निर्माण गतिविधियाँ केरल राज्य के एर्नाकुलम में अप्रवाही जल के तट पर हैं जो असाधारण रूप से बड़ी जैविक विविधता का समर्थन करती हैं और भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में से एक है।
6. जिस क्षेत्र में उत्तरदाताओं ने निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया है, वह ज्वारीय रूप से प्रभावित जल निकाय का हिस्सा है और उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को सीआरजेड अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।इन क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों का प्राकृतिक जल प्रवाह पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप अंततः गंभीर प्राकृतिक आपदाएँ हो सकती हैं।विशेषज्ञों की राय है कि हाल के वर्षों में उत्तराखंड और इस वर्ष तमिलनाडु में आई विनाशकारी बाढ़ नदी तटों पर अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों और अप्रवाही जल के प्राकृतिक मार्ग में अनैतिक अतिक्रमण का तत्काल परिणाम है।अधिसूचित क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों की जांच के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (संक्षेप में, 'सी. जेड. एम. पी.') तैयार की गई है।उच्च न्यायालय ने अनुमोदित सीजेडएमपी के महत्व को नजरअंदाज कर दिया है।

बी.

सी.

डी.

7. अपीलार्थी के अनुसार, ये निर्माण गतिविधियाँ गंभीर रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में हो रही हैं जिन्हें सीआरजेड-III के रूप में अधिसूचित किया गया है। पंचायतों ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं का उल्लंघन करते हुए ये अनुमतियाँ जारी की हैं। केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग के सतर्कता अनुभाग ने भवन परमिट के मुद्दे में इन उल्लंघनों और विसंगतियों का पता लगाया और इसलिए संबंधित निकायों को केरल नगर पालिका भवन नियम, 1999 (संक्षेप में, '1999 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 16 और 23 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी त्रुटिपूर्ण भवन परमिट को रद्द करने का निर्देश

दिया।8. 1999 के नियमों के नियम 16 के तहत एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिल्डरों से कारण बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें जारी किए गए भवन परमिट को रद्द क्यों नहीं किया जाए।उसी पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर की गईं।विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी।डिवीजन बेंच ने अपीलों को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने कहा है कि ए में स्थानीय अधिकारियों की विफलता के लिए परमिट धारकों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

629

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण. v.केरल राज्य मरादु नगरपालिका ए

वैधानिक प्रावधानों और अधिसूचनाओं का पालन करना।पुनरीक्षण याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं।इसलिए, विशेष अवकाश द्वारा अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

9. दो दिन तक अपीलों को सुनने के बाद, हमने पक्षों को सुनने के लिए समिति का गठन किया। इस न्यायालय द्वारा 27.11.2018 पर पारित आदेश निम्नलिखित हैः

बी.

“1. इमारतों को हटाने के लिए जारी किए गए 4.6.2007 दिनांकित कारण बताए जाने के नोटिस पर सवाल उठाते हुए दायर रिट याचिकाएं, जो कारण बताए जाने के नोटिस के अनुसार CRZ श्रेणी के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर आ रही थीं।कारण दर्शाओ नोटिस में विभिन्न उल्लंघनों का उल्लेख किया गया था।कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के उपाय का लाभ उठाए बिना, रिट याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय में दायर की गईं।उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले और दिनांक 10.09.2012 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को मंजूरी दी। इससे व्यथित होकर, नगर पालिका ने डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपीलों को प्राथमिकता दी, जिन्हें विवादित निर्णय और दिनांक 02.06.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सी.

डी.

2. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एकल पीठ या खंड पीठ द्वारा कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि क्या विचाराधीन क्षेत्र सीआरजेड

श्रेणी-III, श्रेणी-I या श्रेणी-II में है। एकल पीठ के समक्ष याची द्वारा यह दावा किया गया था कि वे सीआरजेड श्रेणी-II के अंतर्गत आते हैं, जबकि इस न्यायालय में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित मामला यह है कि क्षेत्र सीआरजेड श्रेणी-III का है। हम उपरोक्त पहलू पर निष्कर्षों की मांग करना उचित समझते हैं।

ई.

एफ.

3. हम आपत्तियों को सुनने और 19 फरवरी 1991 की अधिसूचना के संदर्भ में निष्कर्ष देने के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव, संबंधित नगर पालिका के मुख्य नगर अधिकारी और जिले के कलेक्टर से बनी तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हैं।

जी.

4. समिति को प्रभावित पक्षों के साथ-साथ केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य सरकार को सुनने दें और पक्षों द्वारा प्रस्तुत मामले पर विचार करने दें और निर्माण की वैधता के बारे में इस न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजें।

एच.

विचाराधीन क्षेत्र को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना है और क्या इमारत निषिद्ध क्षेत्र में है। अभ्यास दो महीने की अवधि के भीतर किया जाए और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।5. रिपोर्ट को उस पहलू को शामिल करते हुए प्रस्तुत किया जाए जो निर्माण की वैधता के बारे में पक्षों द्वारा आग्रह किया जा सकता है।"

बी.

10. उपरोक्त आदेश अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताएँ नोटिस के संबंध में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए पारित किया गया था क्योंकि यह तय करने का एकमात्र सवाल था कि क्या यह क्षेत्र तटीय क्षेत्र विनियमों के सीआरजेड-III में आता है।हमने रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विद्वान अधिवक्ता को फिर से विस्तार से सुना है।समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः

सी.

1. के. गोपालकृष्ण भट, आई. ए. एस. स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण) प्रभारी।

2. के. मोहम्मद वाई. सफीरुल्ला, ए. आई. ए, जिला कलेक्टर,

डी.

एर्नाकुलम।

3. सुभाष पी. के.

नगरपालिका सचिव,

मरादु नगरपालिका।

11. समिति ने सुनवाई का अवसर दिया है और सभी हितधारकों द्वारा स्थापित मामले को व्यापक विस्तार से निपटाया है।समिति द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष और निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं:

ई.

"समिति ने पक्षों और के. सी. जेड. एम. ए. द्वारा उठाए गए सभी तर्कों, मौजूदा नियमों और कानूनों का मूल्यांकन किया और बैठक के समय प्रस्तुत गूगल मानचित्र की जांच की।

एफ.

समिति के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1) मराड़ पंचायत, जिसका गठन 1953 में किया गया था, को नवंबर 2010 में नगरपालिका के रूप में उन्नत किया गया था।

जी.

2) केरल की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सी. जेड. एम. पी.) वर्तमान में लागू है जिसे 1996 में अनुमोदित किया गया था।उक्त सी. जेड. एम. पी. के अनुसार, मराड़ को पंचायत क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है और इसलिए यह सी. आर. जेड.-III के तटीय विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) श्रेणी में आता है। इस क्षेत्र को मानचित्र संख्या 33,33 ए ए में दर्शाया गया है।

एच.

631

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण. v.केरल राज्य मरादु नगरपालिका ए

और सी. जेड. एम. पी. 1996 का 34।ये नक्शे अनुलग्नक 1 और 2 के रूप में संलग्न हैं।माराड क्षेत्र को दिखाने वाले तीन मानचित्रों का एक मोज़ेक अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है।चूंकि वर्ष 2010 में पंचायत को नगरपालिका के रूप में उन्नत किया गया है, इसलिए इसे सी. आर. जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार तैयार किए गए सी. जेड. एम. पी. के मसौदे में सी. आर. जेड.-II श्रेणी के रूप में दिखाया गया है और हाल ही में भारत सरकार के एम. ओ. ई. एफ. और सी.

सी. को प्रस्तुत किया गया है।जब तक केरल सरकार/के. सी. जेड. एम. ए. को प्रस्तुत सी. जेड. एम. पी. मसौदे की मंजूरी पर भारत सरकार से एक संचार प्राप्त नहीं होता है, तब तक 1996 का सी. जेड. एम. पी. वैध है।इसलिए, आज की तारीख में, मरादु क्षेत्र एक अप्रवाही जल द्वीप होने के कारण नीचे दिए गए प्रावधान 6 जनवरी 2011 के बाद लागू होते हैं, यानी जिस तारीख को भारत सरकार ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सी. जेड. एम. पी.) प्रकाशित की थी।

बी.

सी.

i) अप्रवाही जल के भीतर के द्वीपों की सीआरजेड क्षेत्र के रूप में भूमि की ओर उच्च ज्वार-भाटा रेखा से 50 मीटर चौड़ाई होगी।ii) इन अप्रवाही जल द्वीपों के एच. टी. एल. से 50 मीटर के भीतर स्थानीय समुदायों की मौजूदा आवासीय इकाइयों की मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जा सकता है, हालांकि किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।iii) बैकवाटर द्वीपों की भूमि की ओर एच. टी. एल. से 50 मीटर से आगे, स्थानीय समुदायों की आवासीय इकाइयों का निर्माण ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

डी.

ई.

iv) इन अप्रवाही जल द्वीपों के एच. टी. एल. से 50 मीटर चौड़ाई के भीतर मछली पकड़ने की जेटी, मछली सुखाने के यार्ड, शुद्ध मरम्मत यार्ड, पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ने का प्रसंस्करण, नाव निर्माण यार्ड, बर्फ संयंत्र, नाव की मरम्मत जैसी सुविधाओं को शुरू किया जा सकता है।निष्कर्ष

एफ.

केरल की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सी. जेड. एम. पी.) वर्तमान में लागू है जिसे 1996 में अनुमोदित किया गया था।उक्त सी. जेड. एम. पी. के अनुसार मरादु को पंचायत क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है और इसलिए यह सी. आर. जेड. III के तटीय विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) श्रेणी में आता है। मरादु पंचायत को वर्ष 2010 में नगरपालिका के रूप में उन्नत किया गया है और इसलिए सी. आर. जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार तैयार किए गए सी. जेड. एम. पी. के मसौदे में इसे सी. आर. जेड. II श्रेणी के रूप में दिखाया गया है।नया मसौदा सी. जेड. एम. पी. अनुमोदन के लिए भारत सरकार के एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. को प्रस्तुत किया गया है।भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दिए जाने तक सी. जेड. एम. पी. 1996 वैध है।”

जी.

एच.

12. यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक समय पर जब मामलों में उत्तरदाताओं द्वारा निर्माण का मुद्दा उठाया गया है, तो क्षेत्र सीआरजेड-III के भीतर था। सी. आर. जेड.-III के संबंध में, संबंधित अधिसूचना दिनांक 19.2.1991 इंगित करती है कि उच्च ज्वार-भाटा रेखा से 200 मीटर का क्षेत्र कोई विकास क्षेत्र नहीं है।मौजूदा एफ. एस. आई. से अधिक अधिकृत संरचनाओं की मरम्मत के अलावा इस क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सी. आर. जेड.-III से संबंधित अधिसूचना दिनांक 19.02.1991 नीचे दी गई है:-

बी.

"iii. भवनों का डिजाइन और निर्माण आसपास के परिदृश्य और स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होगा।आई. हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक के क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट ज़ोन" के रूप में निर्धारित किया जाना है।मौजूदा एफ. एस. आई., मौजूदा आधार क्षेत्र और मौजूदा घनत्व से अधिक मौजूदा अधिकृत संरचनाओं की मरम्मत और ऐसी गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाओं सहित अधिसूचना के तहत अनुमेय गतिविधियों के अलावा इस क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित एक प्राधिकरण स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी और मलजल निकासी के लिए सुविधाओं के निर्माण की अनुमति दे सकता है।हालाँकि, इस क्षेत्र में कृषि, बागवानी, उद्यान, चरागाह, उद्यान, खेल के मैदान, वानिकी और समुद्री जल से नमक निर्माण में निम्नलिखित उपयोगों की अनुमति हो सकती है।

सी.

डी.

ई.

ii.पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ई. एफ.) की पूर्व मंजूरी के साथ सी. आर. जेड.-III के निर्दिष्ट क्षेत्रों में हाई टाइड लाइन के 200 और 500 मीटर के बीच खाली भूखंडों का विकास, अनुलग्नक-II में दिए गए दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन पर्यटकों/आगंतुकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए होटल/समुद्र तट रिसॉर्ट्स के निर्माण के लिए अनुमति दी गई है।

एफ.

iii.हाई टाइड लाइन के 200 और 500 मीटर के बीच आवासीय इकाइयों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई है, जब तक कि यह पारंपरिक अधिकारों और प्रथागत

उपयोगों जैसे कि मौजूदा मछली पकड़ने वाले गाँवों और गाओथन के दायरे में है।इस तरह के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए भवन अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि आवास इकाइयों की कुल संख्या मौजूदा इकाइयों की संख्या से दोगुनी से अधिक नहीं होगी; सभी मंजिलों पर कुल आच्छादित क्षेत्र भूखंड के आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; निर्माण की कुल ऊंचाई ए

जी.

एच.

633

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण. v.केरल राज्य मरादु नगरपालिका ए

9 मीटर से अधिक नहीं होगा और निर्माण 2 मंजिलों के भूतल और एक मंजिल से अधिक नहीं होगा।अधिसूचना के तहत अनुमत गतिविधियों के लिए निर्माण की अनुमति है, जिसमें ऐसी गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हैं।राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित प्राधिकरण सार्वजनिक वर्षा आश्रय, सामुदायिक शौचालय, जलापूर्ति, जल निकासी, मलजल निकासी, सड़कों और पुलों के निर्माण की अनुमति दे सकता है।उक्त प्राधिकरण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए स्कूलों और औषधालयों के निर्माण की भी अनुमति दे सकता है, उन पंचायतों के लिए जिनका बड़ा हिस्सा सीआरजेड के भीतर आता है यदि ऐसी सुविधाओं के निर्माण के लिए कोई अन्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं है।

बी.

सी.

iv.उपरोक्त (I) से (iii) के अधीन अनुमत मौजूदा अधिकृत भवन का पुनर्निर्माण/परिवर्तन।"

13. 1999 के नियमों के नियम 23 (4) पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है जो नीचे दिया गया है:-

"23(4) भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र में कोई भी भूमि विकास या पुनर्विकास या भवन निर्माण या पुनर्निर्माण समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना में निहित प्रतिबंधों के अधीन होगा।"

डी.

ई.

14. स्थानीय प्राधिकरण के लिए समय-समय पर संशोधित अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है।इस प्रकार, केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की अनुमति देने के लिए 1991 की अधिसूचना को देखते हुए स्थानीय प्राधिकरण यानी पंचायत के लिए यह खुला नहीं था।मान लीजिए कि पंचायत ने भवन निर्माण की अनुमति के लिए ऐसा कोई आवेदन नहीं भेजा है और केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोई सहमति या अनुमति नहीं दी गई है।इस प्रकार, हम पाते हैं कि एक बार समिति द्वारा उचित जांच किए जाने के बाद, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि यह क्षेत्र सीआरजेड-III के अंतर्गत आता है, यह पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र के भीतर अस्वीकार्य और अनधिकृत निर्माण था।हम केरल में हाल ही में हुई तबाही का भी न्यायिक संज्ञान लेते हैं, जो इस तरह की बेलगाम निर्माण गतिविधियों के कारण भारी बारिश के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह की अनधिकृत गतिविधि के कारण मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था।

एफ.

जी.

एच.

15. वामिका द्वीप (ग्रीन लैगून रिज़ॉर्ट) में यह कोर्ट न्यायालय।

भारत संघ और अन्य। [(2013) 8 एस. सी. सी. 760] ने कहा हैः- “26. याची ने 1991 और 2011 की अधिसूचनाओं के साथ-साथ मानचित्र No.32-A के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्माण को प्रभावित किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने पाया था।उसी के तथ्यात्मक विवरण और वास्तव में वेट्टीला थुरुथु में याची की कुछ संपत्तियों का हिस्सा कहाँ आएगा, इस पर उच्च न्यायालय ने पैरा 109 से 119 में अपने फैसले में विस्तार से विचार किया है।हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है कि जहां तक याची द्वारा 1991 में जारी अधिसूचना की मुद्रा के दौरान बनाए गए भवनों का संबंध है, वे स्पष्ट रूप से इस अधिसूचना का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इसे हटाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।पंचायत निदेशक ने 7.3.1995,17.7.1996 दिनांकित पत्रों के माध्यम से सभी पंचायतों को निर्देश दिया कि वे CRZ अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, जिसका अनुमति देने के लिए पालन नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर यह भी पाया है कि पुनर्निर्माण कार्य 2011 की अधिसूचना के दौरान किया गया प्रतीत होता है और दो भवनों (193/डी और 193/ई) का निर्माण भी अवैध रूप से किया गया था।उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि एक और नया निर्माण चल रहा है।ये सभी तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं जो इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करते हैं।उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा है कि पुनर्निर्माण कार्य 1991 और 2011 की अधिसूचनाओं के विपरीत किया गया है और विज्ञान प्रौद्योगिकी

और पर्यावरण पर केरल राज्य समिति (के. एस. सी. एस. टी. ई.) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

27. हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए और वेम्बनाड झील को बचाने के लिए जारी किया गया था, जो एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है।वेम्बनाड झील वर्तमान में बढ़ते मानव हस्तक्षेप के कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षरण से गुजर रही है और, जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, इस जल निकाय के सामाजिक-आर्थिक महत्व को पहचानते हुए, इसे हाल ही में "असुरक्षित आर्द्रभूमि को संरक्षित करने" के लिए निर्धारित किया गया है और इसे सीवीसीए घोषित किया गया है। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से क्रम में हैं।

एफ.

जी.

एच.

635

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण. v.केरल राज्य मरादु नगरपालिका ए

ए.

28. इसके अलावा, 1991 और 2011 की सी. आर. जेड. अधिसूचनाओं की मुद्रा के दौरान किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पीडाडे फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य (2004) 3 एस. सी. सी. 445) मामले में इस न्यायालय के फैसलों के अनुरूप हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि ऐसी अधिसूचनाएं तटीय क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के हित में जारी की गई हैं और ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हुए किए गए निर्माण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।"

बी.

16. पाइडेड फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य और अन्य।

[(2004) 3 एस. सी. सी. 445], इस न्यायालय ने कहा हैः"4. हम नहीं समझते कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि पाई जा सकती है और अपीलार्थी को संविधान के अनुच्छेद

136 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई राहत दी जा सकती है।मान लीजिए, अपीलार्थी ने जो निर्माण किया है, वह बिना अनुमति के है।एक पल के लिए यह मानते हुए कि निर्माण, नए सिरे से सीमांकन और माप पर और एच. टी. एल. पर निर्धारित किया जा रहा है, एच. टी. एल. के 200 मीटर से परे पाया गया है, यह बहुत बड़ा है कि अपीलार्थी सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना निर्माण को बढ़ाने के दुस्साहस में लिप्त है।इसके अलावा, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ठीक ही बताया है कि एच. टी. एल. के सीमांकन और निर्धारण के मामले में उच्च न्यायालय का निर्देश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) और धारा 3 (2) (वी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना नामक अधिसूचना में दिनांकित संशोधन पर आधारित है, जबकि अपीलार्थी का निर्माण संशोधन की तारीख से पहले पूरा हो गया था और इसलिए, अपीलार्थी 1996 की रिट याचिका संख्या 102 में पारित दिनांकित आदेश का लाभ नहीं ले सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

5. यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने दो आवेदन दायर किए थे, जिनमें से एक दिनांकित है, जो विचाराधीन निर्माण को नियमित करने के उद्देश्य से है।पर्यावरण के लिए गोवा राज्य तटीय समिति-तत्कालीन सक्षम निकाय ने एक उप-समिति का गठन किया जिसने स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया पूरा निर्माण एच. टी. एल. के 200 मीटर के भीतर गिर गया था और निर्माण किया गया था।

जी.

एच.

मौजूदा रेत के टीलों पर किया जाता है।पर्यावरण के लिए गोवा राज्य तटीय समिति ने अपनी दिनांक 1 की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि अपीलार्थी द्वारा बनाया गया पूरा निर्माण तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना का उल्लंघन था।

6. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाएँ तटीय क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के हित में जारी की गई हैं।ऐसे नियमों के उल्लंघन में उठाए गए निर्माण को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।हम नहीं समझते कि अपीलार्थी किसी भी राहत का हकदार है।उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।"

बी.

सी.

17. इसके अलावा, के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है

रथीश बनाम केरल राज्य (2013 (3) के. एल. टी. 840) में केरल उच्च न्यायालय।

उसी को नीचे निकाला गया है:"98. हालाँकि, हम परमिट की वैधता पर घोषणा किए बिना अपने निर्णय पर विराम लगा देंगे।हमने पाया है कि अधिसूचना द्वीप पर लागू होती है, द्वीप सीआरजेड-I में आता है और निर्माण की अनुमति नहीं है।केवल भवन नियमों के तहत अनुमति प्राप्त करने से, यह किसी भी संदेह के क्षेत्र में नहीं हो सकता है कि कंपनी अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करने का अधिकार, खुद पर घमंड नहीं कर सकती है।हम केरल नगरपालिका भवन नियम, 1999 के नियम 23 (4) और केरल पंचायत भवन नियम, 2011 के नियम 26 (4) को पहले ही देख चुके हैं।इस मामले में, हम यह भी नोट कर सकते हैं कि प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है।यह ध्यान देने योग्य है कि पैराग्राफ 3 (v) स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश के लिए, पर्यावरण मंत्रालय डब्ल्यू. पी. (सी) से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।NO.19564/11 और CON.CASES 21 और वन।इस मामले में कंपनी का निवेश 5 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।5 करोड़ रुपये से कम के निवेश के संबंध में, उन गतिविधियों के लिए जो निषिद्ध नहीं हैं, राज्य में संबंधित प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।कंपनी ने अनुमति लेने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। इसके अलावा, यह एक ऐसा मामला है जहां, भले ही अनुमति के लिए आवेदन किया गया हो, अधिसूचना की शर्तें ऐसी किसी भी अनुमति को दिए जाने के रास्ते में खड़ी होंगी जहां तक कि द्वीप को सीआरजेड-I में आने वाला माना जाता है। कंपनी द्वारा किए गए भवनों का निर्माण पूरी तरह से अस्वीकार्य था।तथ्य यह है कि ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ऐसी स्थिति में जहां अधिसूचना के तहत निर्माण गतिविधि की अनुमति थी और यदि कंपनी ने स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त की होती, तो अपनी गतिविधियों को वैध बना लेती, कंपनी का लाभ इस कारण से नहीं उठा सकती कि अधिसूचना की शर्तों के तहत, पंचायत से प्राप्त ऐसी अनुमति सीआरजेड-I के संबंध में विनियमों द्वारा लाए गए प्रतिबंधों की प्रकृति के आलोक में उसके लिए बहुत कम उपयोगी होगी, जिसमें द्वीप किस क्षेत्र में आता है।डब्ल्यू. पी. (सी) के अनुसार।NO.19564/11 और CON.CASES 22 पंचायत, इसमें कोई संदेह नहीं है, सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित शर्तों को भी लागू किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने द्वीप का दौरा भी किया था।जो कुछ भी हो, जैसा कि हमने देखा है, हमारे दृष्टिकोण के आलोक में, अर्थात् कि 1991 की अधिसूचना द्वीप पर लागू होती है, इसे पूरी तरह से सीआरजेड-I में शामिल किया गया है और निर्माण 1991 की अधिसूचना की मुद्रा के दौरान भी शुरू किया गया था।यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि यह 1991 की अधिसूचना में निहित निषेध के दायरे में है और इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अवैध है।

बी.

सी.

डी.

XXX

XXX

XXX

107. इस स्तर पर, हमें कंपनी द्वारा हमारे सामने उठाए गए तर्क से निपटना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विश्व स्तरीय रिसॉर्ट स्थापित किया गया है जो केरल जैसे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा, जहां कोई उद्योग नहीं है और जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और नौकरियां पैदा होंगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय यह ध्यान में रख सकता है कि कंपनी पर्यावरण के अनुकूल है और यदि न्यायालय कंपनी के खिलाफ पता लगाने के लिए इच्छुक है, तो न्यायालय इस मामले के तथ्यों में कंपनी को निर्देश दे सकता है और कंपनी पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक किसी भी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करेगी।

ई.

एफ.

108. हमें नहीं लगता कि इस न्यायालय को इस तरह के तर्क से रोक दिया जाना चाहिए। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना

और सतत विकास करना है।यह देश का कानून है।इसका पालन किया जाना और लागू किया जाना है।जैसा कि शीर्ष न्यायालय ने कहा है, तटीय विनियमन क्षेत्र विनियमों के उल्लंघन में निर्माण को हल्के में नहीं देखा जाना चाहिए और जो इसके डब्ल्यू. पी. (सी) का उल्लंघन करता है।NO.19564/11 और CON.CASES 24 शब्द अपने जोखिम पर ऐसा करते हैं।किए जा रहे निर्माणों की उचित पूर्ति जो

जी.

एच.

अधिसूचना के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अत्यधिक कमजोर तर्क है।"

18. हम पाते हैं कि उपरोक्त निर्णय में केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित है।

19. तत्काल मामले में, पंचायत द्वारा दी गई अनुमति अवैध और अमान्य थी।निषिद्ध क्षेत्र में ऐसी कोई विकास गतिविधि नहीं हो सकती थी।जाँच समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आज से एक महीने की अवधि के भीतर सभी संरचनाओं को तुरंत हटा दिया जाए और इस न्यायालय को अनुपालन की सूचना दी जाए।

बी.

20. अपीलों को, तदनुसार, उपरोक्त निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है।वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

सी.

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.